



2026:AHC:59919

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3539/2026

रणजीत चौहान

....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : अश्वनी कुमार मिश्रा

विपक्षी के अधिवक्ता : सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आज दाखिल किया गया पूरक हलफनामा रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया।
2. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अश्वनी कुमार मिश्रा और राज्य के विद्वान एजीए श्री डी.पी. सिंह की दलीलें सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
3. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत याचिका आवेदक रणजीत चौहान की ओर से दायर की गई है, जिसमें उन्हें मुकदमा अपराध संख्या 500/2024 में, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2(बी)(7), 3(1), 2(बी)(XI), 2(बी)(XXV) के तहत, पुलिस स्टेशन गोरखनाथ, जिला गोरखपुर में मुकदमे की लंबितता के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी गलत इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। इसके अलावा यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक गिरोह चार्ट में दर्शाए गए दोनों मामलों में जमानत पर है और इसके अलावा उसके खिलाफ चौदह अन्य मामले दर्ज किए गए हैं और वह उन सभी चौदह मामलों में जमानत पर है। इसके बाद यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक द्वारा न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नहीं है। याचिकाकर्ता, जो 22.10.2025 से जेल में बंद है, वचन देता है कि यदि उसे रिहाई दी जाती है तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, मुकदमे के शीघ्र निपटारे की कोई संभावना नहीं है।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है।

6. आवेदक गिरोह चार्ट में दर्शाए गए दोनों मामलों में जमानत पर है और इसके अलावा उसके खिलाफ चौदह अन्य मामले दर्ज किए गए हैं और वह उन सभी चौदह मामलों में जमानत पर है। आवेदक, जो 22.10.2025 से जेल में बंद है, यह वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. सभी तथ्यों, उनकी प्रकृति और अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्यों पर विचार करने के बाद और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, जमानत का मामला बनता है। अतः, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

8. उपरोक्त मामले में आरोपी **रणजीत चौहान** को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार जमानत पर रिहा किया जाएगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक को मुकदमे की शुरुआत, आरोप निर्धारण और बी0एन0एस0एस0 की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहना होगा।

(iv) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले की खूबियों पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, अवर न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

23 मार्च, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"